न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :-श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 08/2022

अनवान : –

1. कृष्णदास पुत्र निकूराम जाति स्वामी निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपरिथति :-श्री संदीप गौदारा प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 8/7/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 21/70 के मु0न0 31, 52, 53 की कुल 4.5681है0 जिसमें नहरी 1.922है0 बारानी 2.4171है0 गै0मु0 रास्ता 0.179है0 गै0मु0 खाला 0.0500है0 में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा खातेदारी व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 36/72 के मु0न0 7, 8, 22, 23 की कुल 6.5780है0 जिसमें 6.5390है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णदास है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक एवं बच्चों के अंकतालिका आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम कृष्णकुमार की जगह कृष्णदास दुरूस्त करवा पाने की प्रार्थी कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम कृष्णचन्द्र है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कृष्णकुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है । रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 21/70 के मु0न0 31, 52, 53 की कुल 4.5681है0 जिसमें नहरी 1.922है0 बारानी 2.4171है0 गै0मु0 रास्ता 0.179है0 गै0मु0 खाला 0.0500है0 में

प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा खातेदारी व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 36/72 के मु0न0 7, 8, 22, 23 की कुल 6.5780है0 जिसमें 6.5390है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम कृष्णकुमार के स्थान पर कृष्णदास दर्ज करवाना चाहता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर व तहसीलदार भादरा की रिपॅार्ट के प्रार्थी का सही नाम कृष्णदास दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 21/70 के मु0न0 31, 52, 53 की कुल 4.5681है0 जिसमें नहरी 1.922है0 बारानी 2.4171है0 गै0मु0 रास्ता 0.179है0 गै0मु0 खाला 0.0500है0 में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा खातेदारी व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 36/72 के मु0न0 7, 8, 22, 23 की कुल 6.5780है0 जिसमें 6.5390है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी कृष्णकुमार के स्थान पर अपना सही नाम कृष्णदास दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक एवं बच्चों के अंकतालिका में प्रार्थी का सही नाम कृष्णदास व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार भादरा की रिपॅार्ट के मुताबिक भी सही नाम कृष्णदास दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 21/70 के मु0न0 31, 52, 53 की कुल 4.5681है0 जिसमें नहरी 1.922है0 बारानी 2.4171है0 गै0मु0 रास्ता 0.179है0 गै0मु0 खाला 0.0500है0 में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा खातेदारी व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 36/72 के मु0न0 7, 8, 22, 23 की कुल 6.5780है0 जिसमें 6.5390है0 बारानी व 0.039है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में कृष्णकुमार के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम कृष्णदास पुत्र निकूराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कृष्णकुमार पुत्र निकूराम के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...03/7/22....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ